रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 5, 2011/आश्विन 13, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 168
No. 166] DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2011/ASVINA 13, 1933 [N.C.T.D. No. 168

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2011

सं. फा. डीपीसीसी/ईआईए/एमआईएससी/मिस./09-खंड-II/21077-21096.—जबकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) के अनुसरण में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 5 अगस्त, 2011 की का.आ. 1845(अ) के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) का गठन किया है तथा उक्त प्राधिकरण की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के परामर्श से इसी तरह राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का भी गठन किया है ।

2. और जबकि 5 अगस्त, 2011 की उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम 29) के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए), दिल्ली एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के प्रभावशाली कार्यप्रणाली हेतु सचिवालयीय कार्यों की देखभाल करने के लिए एजेंसी को अधिसूचित करना है ।

3. अब इसलिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 5 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1845(अ) के पैरा 5 तथा पैरा 10 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, चौथा तल, अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110 006 को सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एजेंसी के रूप में अधिसूचित करती है जो राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए), दिल्ली तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी), दिल्ली के समस्त वैधानिक कार्यों हेतु सभी वित्तीय तथा संभारतंत्र संम्बन्धी समर्थन प्रदान करेगी ।

4. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए), दिल्ली एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के अध्यक्षों एवं सदस्यों को बैठक में उपस्थिति शुल्क तथा यात्रा भत्ता देने की व्यवस्था करेगी । इस उद्देश्य के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति अलग से एक आदेश शीघ्र जारी करेगी ।

5. भारत सरकार की दिनांक 5 अगस्त, 2011 की पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) का गठन इस प्रकार है :—

1. श्री कौशल कुमार माथुर —अध्यक्ष
4-डिफेंस एन्कलेव,
विकास मार्ग, दिल्ली-110 092

2. डॉ. मुकेश खरे, —सदस्य
सिविल इंजीनियरी विभाग,
ब्लॉक-IV, आईआईटी दिल्ली, दिल्ली

3. सदस्य सचिव, —सदस्य सचिव
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण
समिति, दिल्ली

6. भारत सरकार की दिनांक 5 अगस्त, 2011 की पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसार राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) का गठन इस प्रकार है :-

1. डॉ. सी.आर. बाबू —अध्यक्ष
प्रोफेसर एमीरिटस
अवक्रमित पारिस्थितिक तंत्र
पर्यावरणीय प्रबंधन केन्द्र, दिल्ली
विश्वविद्यालय, दिल्ली-110 007

2. डॉ. आर. के. खंडल, —सदस्य
श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान,
19, विश्वविद्यालय रोड, दिल्ली-110 007

3. श्री अमरजीत सिंह, —सदस्य
मुख्य अभियंता (सी एंड ई)
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, दूसरा
तल, एन-विंग, सेवा भवन,
आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110 066

4. प्रोफेसर सुबीर साहा, —सदस्य
21, एसपीए कॉम्पलेक्स, न्यू फ्रेन्ड्स
कॉलोनी, नई दिल्ली-110 065

5. डॉ. (श्रीमती) पी. मालारविजी, —सदस्य
जे-60, दूसरा तल, साकेत,
नई दिल्ली-110 017

6. डॉ. मिहिर देव, —सदस्य
सी-1/1157, वसन्त कुंज,
नई दिल्ली-110 070

7. सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण —सदस्य सचिव
नियंत्रण समिति, दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

केशव चन्द्र, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FOREST AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 5th October, 2011

No. F. DPCC/EIA/MISC/09-Vol-II/21077-21096.—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Act 29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated 14th September, 2006, the Ministry of Environment and Forests, Government of India has constituted State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi *vide* S.O. 1845(E) dated 5th August, 2011 and to assist the said authority, the Central Government, in consultation with the Government of National Capital Territory of Delhi has constituted the State Level Expert Appraisal Committee as well.

2. And whereas in pursuance of the above referred Notification dated 5th August, 2011, the Government of National Capital Territory of Delhi is to notify the Agency to look after the Secretariat functions for the effective functioning of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), constituted for the National Capital Territory of Delhi under Environment (Protection) Act, 1986 (Act 29 of 1986).

3. Now therefore, in pursuance of para 9 and para 10 of the Notification No. S.O. 1845(E) dated 5th August, 2011 of the Ministry of Environment and Forests, Government of India, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby notifies the Delhi Pollution Control Committee, situated at ISBT Building, 4th floor, Kashmere Gate, Delhi-110 006, as the Agency to act as Secretariat and shall provide all financial and logistic support in respect of all statutory functions of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi.

4. The Delhi Pollution Control Committee shall arrange to pay Sitting fee and Traveling Allowance to the Chairmen and Members of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi. For this purpose, DPCC will issue a separate order expeditiously.

5. The constitution of State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) as per Government of India aforesaid notification dated 5th August, 2011 is as follows :

1. Shri. Kaushal Kumar Mathur, —Chairman
4, Defence Enclave,
Vikas Marg, Delhi-110 092

2. Dr. Mukesh Khare, —Member
Civil Engineering Department,
Block-IV, IIT Delhi, Delhi.

3. Member Secretary, —Member Secretary
Delhi Pollution Control
Committee, Delhi

6. The constitution of State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) as per Government of India aforesaid notification dated 5th August, 2011 is as follows :

1. Dr. C. R. Babu, —Chairman
Professor Emeritus,
Central for Environment
Management of Degraded
Ecosystems, University of Delhi,
Delhi-110 007.

2. Dr. R. K. Khandal, —Member
Shriram Institute for Industrial Research, 19, University Road, Delhi-110 007.
3. Shri Amarjeet Singh, —Member
Chief Engineer (C&E)
Central Electricity Authority,
2nd Floor, N-Wing, Sewa Bhawan,
R. K. Puram, New Delhi- 110 066
4. Prof. Subir Saha, —Member
21, SPA Complex,
New Friends Colony,
New Delhi-110 065
5. Dr. (Mrs) P. Malarvizhi, —Member
J-60, 2nd Floor, Saket,
New Delhi- 110 017
6. Dr. Mihir Deb,
C-1/1157, Vasant Kunj,
New Delhi- 110 070.
7. Member Secretary, —Member Secretary
Delhi Pollution Control Committee, Delhi

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
KESHAV CHANDRA, Secy.

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2011

फा. सं. 11(22)/रा. स्था./84(1)/1396.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जय नारायन, तहसीलदार, दिल्ली विकास प्राधिकरण को जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व अथवा प्रबंध की अधीनस्थ भूमि के लिए सहायक कलैक्टर, द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलदीप सिंह गंगर, अतिरिक्त सचिव

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th October, 2011

F. No. 11(22)/Rev. Estt./84(1)/1396.—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Jai Narayan, Tehsildar of Delhi Development Authority, the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in respect of land owned by or under the management of Delhi Development Authority, so long as he holds the post or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

KULDEEP SINGH GANGAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.